पत्र संख्या-1/प्र0-405/07-का0-1233/
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव।
सभी सचिव ।
सभी अपर आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 5 फरवरी, 2007.

विषय:- उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति के पूर्व विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या-3098 दिनांक 22-3-94 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा यह निदेश जारी किया गया था कि उपार्जित एवं अन्य अवकाश की स्वीकृति हेतु विभागीय मंत्री की अनुशंसा अपेक्षित है । यह भी अनुरोध किया गया था कि उक्त अवकाश की स्वीकृति हेतु अपने विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर ही अपना आवेदन पत्र देने का कष्ट करेंगे, अन्यथा आवेदित अवकाश की स्वीकृति देना संभव नहीं होगा । सरकार द्वारा जारी इस निदेश के बावजूद कई आयुक्त एवं सचिव/सचिव/अपर आयुक्तों द्वारा बिना विभागीय मंत्री की अनुशंसा के ही अवकाश स्वीकृति हेतु आग्रह किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति देने में कठिनाई होती है, तथा सरकार द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन भी होता है।

2-अत: अनुरोध है कि उपार्जित या अन्य किसी अवकाश की स्वीकृति हेतु अपने विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर ही अपना आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे, अन्यथा अवकाश की स्वीकृति देना संभव नहीं होगा ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
सरकार के सचिव ।
5/2

नरेश/